न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 74/2019, जिला सीकर

1. श्रीमति हीरा देवी पुत्री श्री कालूराम पत्नी पोखर जाति जाट निवासी ग्राम अगलोई तहसील खण्डेला हाल आबाद ढाणी नवोडी तन गुहाला तहसील नीम का थाना, जिला सीकर । (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

1. जगनाराम पुत्र श्री जयराम जाति जाट निवासी ग्राम अगलोई तहसील खण्डेला जिल सीकर। (राज.)
2. श्रीमती रामा देवी पत्नी जगनाराम पुत्री स्व. कालूराम जाति निवासी अगलोई तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल आबाद नवोडी तन गुहाला तहसील नीम का थाना जिला सीकर। (राज.)
3. तुलसीराम पुत्र स्व. श्री कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम अगलोई तहसील खण्डेला जिला सीकर। (राज.)
4. सरकार जरिये तहसीलदार, खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर दिनांक 30.10.2019 बाबत पत्रावली संख्या 18/2019 जिसके द्वारा उन्होंने धारा 135(2) राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बिना जांच किये ही तथा बिना प्रभावित पक्षकारों को सुने ही एक पक्षीय रूप से रेस्पो. नम्बर 1 के पक्ष में कालू की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने के क्षेत्राधिकार–विहीन आदेश पारित किये।

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त दीक्षित
2. वकील रेस्पो. नं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. वकील रेस्पों. नं. 4 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल

निर्णय

दिनांक –26.04.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.10.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि कालू पुत्र माना जाति जाट निवासी अगलोई रोयल ने दिनांक 04.09.1985 को अपनी सम्पूर्ण चल एवं अचल सम्पति की वसीयत रेस्पों. नं. 1 जगनाराम के पक्ष में उप पंजीयक खण्डेला के समक्ष तरदीक करवायी थी। वसीयत कर्ता की मृत्यु दिनांक 20.09.2005 को होने पर रेस्पों नं. 1 जगनाराम द्वारा वसीयत कर्ता कालू पुत्र माना की चल–अचल सम्पति पर मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.10.2019 में विवादित खसरा नम्बरान की भूमियां मृतक खातेदार वसीयतकर्ता कालू पुत्र माना जाति जाट निवासी अगलोई के स्थान पर वसीयतग्रहिता रेस्पोंडेन्ट नं. 1 जगनाराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी ढाणी नवोडी गुहाला तहसील नीमकाथाना के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

3. तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.10.2019 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती हीरा देवी पुत्री श्री कालूराम पत्नी पोखरमल द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 30.10.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित रहे एंव रेस्पो.नं. 2 व 3 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। रेस्पों.नं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेसपों संख्या 1 जगनाराम द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 4.9.85 के आधार पर विवादित भूमि खाता संख्या 16 खसरा नम्बरान 27, 350, 441 व 224 स्थित ग्राम अगलोई तहसील खण्डेला की बाबत नामान्तरकरण तस्दीक कराने का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2019 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार खण्डेला ने आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र के प्रकाशन कराने एवं बिन्दुवार रिपोर्ट पटवारी से तलब करने का आदेश प्रदान करते हुये पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 30.10.2019 नियत की, तथा पटवारी हल्का, रोयल तहसील खण्डेला द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के बारे में कोई विधिवत जांच व समीक्षा नहीं की, तथा मृतक कालू के अन्य वारिसान को सुनवाई हेतु समुचित जवाब का अवसर प्रदान किये बिना ही इकतरफा रूप से दूसरी पेशी पर ही नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान कर दिये, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में केवल मात्र बिन्दु संख्या 1 का ही जवाब आया है। शेष बिन्दुओं पर कोई जवाब नहीं आया है, जबकि यह वास्तविकता है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है, न कि स्व अर्जित, तथा मृतक कालू को पैतृक भूमि की बाबत वसीयत करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था, फिर भी रेस्पो. नं. 1 के पक्ष में वसीयत दिनांक 4.9.85 के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीया हीरा देवी ने एक नियमित राजस्व वाद संख्या 241/2011 उनवानी हीरा देवी बनाम जगनाराम वगै0 दिनांक 11.07.2011 कों ही पेश कर दिया था तथा उस दावे में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु टी.आई. आदेश भी जारी हो चुका था, किन्तु फिर भी तहसीलदार खण्डेला ने टी.आई. आदेश के प्रभावशील रहते हुये नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है। विवादित भूमि धन्नी, माना, कालूराम तथा बाद में 1.हीरा देवी 2. तुलसीराम पुत्र अविवहित मंदबुद्धि, 3. छिनकोरी पुत्री कालू ला–औलाद फौत, 4.रामा पुत्री कालू, 5.जमना पत्नि कालूराम का सजरा खानदान है तथा सजरे अनुसार मृतक कालूराम के हिस्से की पैतृक भूमि में अपीलान्ट हीरा देवी, रामादेवी, तुलसीराम पुत्र कालू का बराबर हिस्सा था। इस कारण अकेले कालू की वसीयत के आधार पर रेस्पो. नं. 1 को कतई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित कृषि भूमियां कालूराम की पैतृक होने से कालू के वारिसानों के नाम समान रूप से दर्ज हुई तथा इस कारण उक्त भूमि पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि है, जिसके बारे में मृतक कालू को संपूर्ण भूमि की वसीयत करने का कतई कोई अधिकार नहीं है तथा पैतृक भूमि में सभी उत्तराधिकारियों का बराबर बराबर हिस्सा है, इस कारण भी रेस्पो. नं. 1 के पक्ष में अवैधानिक वसीयत के आधार पर अकेले के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने की जो आज्ञा जैर अपील पारित की गई है, वह वसीयत सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तहत न्यायालय ने बगैर किसी जांच के बगैर पक्षकारों को सुने जल्दबाजी में अपना निर्णय पारीत किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 30.10.2019 न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.10.2019 में विवादित वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमियां मृतक खातेदार वसीयतकर्ता कालू पुत्र माना जाति जाट निवासी अगलोई के स्थान पर वसीयतग्रहिता रेस्पों0 नं0 1 जगनाराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी ढाणी नवोडी गुहाला तहसील नीमकाथाना के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मय है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलकर्त्ता के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.10.2019 में क्र.सं. 01 पर वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमियां मृतक खातेदार वसीयतकर्ता कालू पुत्र माना जाति जाट निवासी अगलोई के नाम दर्ज है। क्र.सं. 02 में यह भी अंकित है कि कृषि भूमि पैतृक है। विवादित भूमि धन्नी, माना, कालूराम तथा बाद में 1. हीरा देवी 2. तुलसीराम पुत्र अविवहित मंदबुद्धि, 3. छिनकोरी पुत्री कालू ला–औलाद फौत, 4. रागा पुत्री कालू, 5. जमना पत्नि कालूराम का सजरा खानदान है तथा राजरे अनुसार मृतक कालूराम के हिस्से की पैतृक भूमि में अपीलान्ट हीरा दवी, रागादेवी, तुलसीराम पुत्र कालू का बराबर हिस्सा था। इस कारण अकेले कालू की वसीयत के आधार पर रेस्पो. नं. 1 को कतई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित कृषि भूमियां कालूराम की पैतृक होने से कालू के वारिसानों के नाम समान रूप से दर्ज होनी चाहिये थी तथा इस कारण उक्त भूमि पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि है, जिसके बारे में मृतक कालू को संपूर्ण भूमि की वसीयत करने का कतई कोई अधिकार नहीं है तथा पैतृक भूमि में सभी उत्तराधिकारियों का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित कृषि भूमि मृतक खातेदार वसीयतकर्ता कालू पुत्र माना जाति जाट निवासी अगलोई के स्थान पर वसीयतग्रहिता रेस्पोंडेन्ट नं. 1 जगनाराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी ढाणी नवोडी गुहाला तहसील नीमकाथाना के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेष पारित किये जाने में कानूनी गलती की है जबकि विवादित कृषि भूमि में सभी उत्तराधिकारियों का बराबर–बराबर हिस्सा किया जाना चाहिए था। मृतक कालू खातेदार वसीयतकर्ता अपने हिस्से की हद तक ही वसीयत कर सकता था। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः–अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) खण्डेला, तहसील खण्डेला, जिला सीकर 30.10.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/4/23.

(असलम शेर खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner